न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर

सत्र परीक्षण संख्या–49 सन् 2024

उत्तराखण्ड राज्य.........प्रति......प्रमोद कुमार आदि

धारा–316, 323, 498ए, 504, 506 भा0दं0सं0
एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–बाजपुर, जिला–ऊधम सिंह नगर
एफ0आई0आर0 नम्बर–548 सन् 2022

<u>दिनांकः 12.06.2026</u>

पुकार लगाया गया। पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र कागज संख्या 79क एवं कागज संख्या 89क नियत है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 79क एवं 89क</u>

प्रार्थिनी/वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 79क इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी उपरोक्त अभियोग की वादनी है तथा प्रार्थिनी द्वारा उक्त अभियोग की प्राथमिकी दिनाक 11.11.2022 को थाना बाजपुर में प्रमोद कुमार आदि के विरूद्ध इस कथन के साथ पंजीकृत कराई कि ''प्रार्थिनी का विवाह दिनांक 07.02.2020 को प्रमोद कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी– ग्राम खण्डिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर के साथ हुआ था। उक्त विवाह में प्रार्थिनी के परिजनों द्वारा लगभग दस लाख रूपये का दान उपहार आदि व पांच लाख रूपये नकद देकर प्रार्थिनी को विदा किया था। प्रार्थिनी के ससुरालजन प्रमोद कुमार (पति), रामबाबू व राम बिहारी (जेठ) पुत्रगण भगवती प्रसाद व नेमवती (जेठानी) पत्नी राम बिहारी व उषा (जेठानी) पत्नी राम बाबू व श्रीमती मनवरी देवी (सास) पत्नी भगवती प्रसाद तथा भगवती प्रसाद (ससुर) पुत्र गिरधारी निवासीगण ग्राम खण्डिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर व नन्द किशोर (नन्दोई) पुत्र राधे निवासी ग्राम मिलक ताज खां थाना स्वार जनपद रामपुर दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में सेन्ट्रो कार व दस लाख रूपये नकद की मांग करते तथा मांग पूरी न होने पर प्रार्थिनी को मारते पीटते व गन्दी गन्दी गालियां

देते। प्रार्थिनी द्वारा अपने पति प्रमोद कुमार के शारीरिक संसर्ग के फलस्वरूप दिनांक 26.10.2020 को एक पुत्री कु० गरिमा आयु डेढ़ वर्ष को जन्म दिया, जिस कारण उपरोक्त अभियुक्तगण का अत्याचार प्रार्थिनी के प्रति और बढ़ गया। अभियुक्तगण प्रार्थिनी को ससुराल से निकाल देते तथा पंचायत के बाद बुलाकर ले जाते। दिनांक 23.06.2022 को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी को उपरोक्त अतिरिक्त दहेज की मांग के कारण ससुराल से निकाल दिया गया तब प्रार्थिनी का भाई दिनांक 23.06.2022 को ही प्रार्थिनी को उसकी ससुराल अभियुक्तगण उपरोक्त के घर छोड आया। परन्तु अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा प्रार्थिनी को दिनांक 24.06.2022 को उसकी छोटी सी बच्ची के साथ ससुराल से निकाल दिया। दिनांक 25.08.2022 को अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी को उसकी बच्ची सहित ससुराल में रहने के लिये इसलिये बुला लिया गया, क्योंकि प्रार्थिनी के मायके वालों ने अभियुक्तगण को एक लाख रूपये नकद दे दिये। अभियुक्तगण कई बार प्रार्थिनी के घर आकर प्रार्थिनी से अतिरिक्त दहेज की मांग कर चुके है व जान से मारने की धमकी दे चुके है। इसी मध्य प्रार्थिनी अपने पति प्रमोद कुमार के शारीरिक संसर्ग के फलस्वरूप गर्भवती हो गयी। जिसके बाबत प्रार्थिनी ने अपना गर्भ सम्बन्धी अल्ट्रासाउण्ड श्री सांई अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर टाण्डा बादली टाण्डा जनपद रामपुर में कराया, जिसमें प्रार्थिनी के गर्भ में 14 सप्ताह 03 दिन का भ्रूण होना पाया गया। अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी पर दबाव बनाया गया कि प्रार्थिनी अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण को समाप्त करा दे, क्योंकि ये लोग दोबारा इस डर से कि कहीं प्रार्थिनी के दोबारा से पुत्री जन्म न लेले, प्रार्थिनी पर गर्भपात का दबाव बनाने लगे। प्रार्थिनी द्वारा अभियुक्तगण की बात मानने से इंकार कर दिया गया तब दिनांक 20.09.2022 को अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी पर पुनः गर्भस्थ भ्रूण को समाप्त करने हेतु दबाव डाला गया। प्रार्थिनी द्वारा इन्कार करने पर अभियुक्तगण ने प्रार्थिनी को बुरी तरह लात घूसों से मारापीटा गया तथा नन्द किशोर द्वारा प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकते की गयी और प्रार्थिनी को फर्श पर उल्टा लिटा कर प्रार्थिनी की कमर पर लाते मारी, जिससे प्रार्थिनी की हालत खराब हो गयी और अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी को उसकी ससुराल से बच्ची सहित तन्हा फकत पहने कपडो में निकाल दिया गया। प्रार्थिनी अपने मायके गयी तथा समस्त घटनाक्रम अपने मायके वालों को बताया। प्रार्थिनी द्वारा अगले दिन अपने शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना जिला चिकित्सालय रामपुर में कराया गया, जिसमें प्रार्थिनी के कई सारी

चोटे आने की पुष्टि हुयी। अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी चोटों के कारण प्रार्थिनी को लगातार रक्तस्त्राव होता रहा तथा प्रार्थिनी की दशा अत्याधिक बिगडने पर प्रार्थिनी को जिला चिकित्सालय रामपुर में दिनांक 27.09.2022 की साय 4:00 बजे भर्ती किया गया एवं दिनांक 28.09.2022 को 11:30 बजे डिस्चार्ज किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पहुंचायी गयी चोटो के कारण प्रार्थिनी का गर्भस्थ भ्रूण समाप्त हो गया। जिसकी पुष्टि चिकित्सालय द्वारा दिनांक 28.09.2022 को कराये गये अल्ट्रासाउण्ड से होती है। प्रार्थिनी मूल रूप से ग्राम कनौरी थाना बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर की निवासनी है। प्रार्थिनी की हालत अत्याधिक खराब होने के कारण प्रार्थिनी तुरन्त थाने रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आ सकी थी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण के सन्दर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्वेषण करे।

प्रार्थिनी/वादिनी का आगे यह भी कथन है कि उक्त प्राथमिकी के पंजीकृत होने के पश्चात उपरोक्त अभियोग की विवेचना करते हुये विवेचनाधिकारी द्वारा प्रार्थिनी व अन्य साक्षीगण के कथन अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये तथा प्रार्थिनी व अन्य साक्षीगण जैसे कि प्रार्थिनी के भाई व माता पिता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया तथा समस्त अभियुक्तगण जिनके नाम प्राथमिकी में बताये गये है, के द्वारा कारित अपराध की बाबत बताया गया है। सी०डी० के पर्चा सं0–02 दिनांकित 22.11.2022 में अभिलिखित किया गया तथा प्रार्थिनी द्वारा उक्त कथन में अभियोजन कथानक का प्रबल समर्थन किया गया तथा सी०डी० के उक्त पर्चे में ही प्रार्थिनी के भाई राजकुमार व पिता तिलकराम तथा माता दर्शन देवी का कथन धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किया गया जिनके द्वारा भी प्रार्थिनी के उपरोक्त कथन व अभियोजन कथानक का प्रबल समर्थन किया गया है। विवेचक द्वारा प्रार्थिनी का अतिरिक्त कथन धारा 161 द०प्र०सं० सी०डी०–03 दिनांकित 02.01.2023 में अभिलिखित किया गया, जिसमें भी प्रार्थिनी द्वारा अभियोजन कथानक का प्रबल समर्थन किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं0 03 में डा० अजय कुमार सिंघल का कथन 161 द०प्र०सं० अभिलिखित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ''ब्यान चिकित्सक डा० अजय कुमार सिंघ ाल एम०बी०बी०एस० एम० एस० आर्थो सिटी हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर रामपुर यू०पी० ब्यान किया कि यह जो अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, यह हमारे सेन्टर हॉस्पिटल में हुआ है। दिनांक 28.09.2022 को श्रीमती सुमन पत्नी

प्रमोद जिला चिकित्सालय में उपचार कराने के बाद हमारे यहां उपचार हेतु आयी थी, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके पति एवं परिजनों के द्वारा कुछ दिन पूर्व के उसके साथ मारपीट की गयी थी जिसको वेजाईनल ब्लीडिंग हो रही थी, उसके अल्ट्रासाउण्ड में ज्ञात हुआ कि उक्त का गर्भस्य भ्रूण समाप्त हो गया है। बाकी विस्तृत रिपोर्ट पूर्व में दी गयी है जो आप दिखा रहे है।'' जिसमें उक्त साक्षी द्वारा प्रार्थिनी के भ्रूण के समाप्त किये जाने का कथन किया गया है, परन्तु उक्त के पश्चात विवेचक द्वारा किन्हीं कारणों से अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पर्याप्त साक्ष्य होने के पश्चात भी अभियुक्तगण रामबाबू पुत्र भगवती प्रसाद व नेमवती पत्नी राम बिहारी व श्रीमती उषा पत्नी राम बाबू व श्रीमती मनवरी देवी पत्नी भगवती प्रसाद तथा भगवती प्रसाद पुत्र गिरधारी निवासीगण ग्राम खण्डिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर का नाम विवेचना से पृथक कर दिया और उनका नाम विवेचना से निकालकर मात्र 03 अभियुक्तगण प्रमोद कुमार व राम बिहारी व नन्द किशोर के विरूद्ध आरोप पत्र सं0– 92/2023 प्रेषित कर दिया। उक्त के पश्चात विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र मा० अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान उपरान्त उक्त पत्रावली मा० सत्र न्यायालय के समक्ष कमिट कर दी गयी एवं अभियुक्त प्रमोद कुमार व रामबिहारी व नन्द किशोर के विरूद्ध आरोप विरचन के पश्चात उक्त अभियोग के विचारण में अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू0–1 के रूप में प्रार्थिनी की मुख्य परीक्षा दिनांक 15.09.2025 को अभिलिखित की गयी तथा प्रार्थिनी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के कथन किया गया है कि ''(ए) मेरा विवाह दिनांक 07.02.2020 को प्रमोद कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी ग्राम खण्डिया थाना अजीमनगर जिला रामपुर उ०प्र० के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह में हमारे परिवार के लोगो ने 10 लाख रूपया दान व उपहार के रूप में तथा 5 लाख रूपये नकद प्रमोद कुमार को दिया था। (बी) जब मैं अपने ससुराल गयी मैने अपना पत्नी धर्म का पालन किया लेकिन शादी के लगभग एक महीने बाद से ही मेरा पति प्रमोद कुमार व जेठ रामबिहारी, रामबाबू व ससुर भगवती प्रसाद, सास मनवरी देवी, जेठानी उषा देवी व नेमवती देवी व मेरा नन्दोई नन्द किशोर ये सभी लोग मुझे कम दान दहेज लाने के ताने देते थे और मुझसे बोलते थे अपने माता पिता से 10 लाख रूपये नगद और एक सैन्ट्रो कार लेकर आओ, मैं इन लोगो की मांग पूरी न कर सकी तो ये लोग मुझे मारते पीटते थे और मेरे साथ गाली गलौच करते थे। मैं इन लोगो का अत्याचार

इस वजह से सहन करती रही कि कहीं कानूनी कार्यवाही करने से मेरा घर न बिगड जाये। (सी) इसी बीच मै अपने पति प्रमोद कुमार से गर्भवती हुई। दिनांक 26.10.2020 को मैने एक पुत्री गरिमा को रामपुर शहर के मैक्स हॉस्पिटल में जन्म दिया। मेरे पुत्री पैदा होने के बाद से ही इन लोगो का अत्याचार मेरे साथ और ज्यादा बढ़ गया। (डी) दिनांक 23.06.2022 को इन लोगो की अपनी दहेज की मांग पूरी न होने के वजह से इन लोगो ने मुझे व मेरी बच्ची को धक्के देकर ससुराल से निकाल दिया। मैं अपने मायके आ गयी। सारी घटना अपने मायके वालों को बतायी लेकिन मेरा भाई राजकुमार ने मेरा घर बचाने के उद्देश्य से मुझे व मेरे बच्चें को उसी दिन ससुराल छोड आये लेकिन अगले दिन इन लोगो ने मुझे दिनांक 24. 06.2022 को फिर से ससुराल से निकाल दिया। (ई) उसके बाद मेरे भाई राजकुमार ने मेरा घर बचाने के उद्देश्य से इन लोगो को एक लाख रूपये दे दिये थे। इसलिये इन लोगो ने मुझे दिनांक 25.08.2022 को मेरे बच्ची सहित ससुराल में रहने के लिये बुला लिया लेकिन इन लोगो की दहेज की मांग में कोई कमी नहीं आयी। इसी बीच मैं अपने पति प्रमोद कुमार से पुनः गर्भवती हुयी। मेरे गर्भ की बाबत अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक टाण्डा बादली जिला रामपुर में कराया गया जिसमें मेरे गर्भ में 14 सप्ताह 3 दिन का भ्रूण होना पाया गया। (एफ) इन लोगो ने मेरे उपर दबाव बनाया कि मेरे गर्भ में अपने पल रहे भ्रूण को समाप्त करा दूं क्योकि इनको डर था कि मेरे दोबारा से पुत्री पैदा न हो क्योकि इन को डर था कि मेरे दोबारा से पुत्री पैदा न हो जाये। मैने इन लोगो की बात मानने से मना कर दिया। तब दिनांक 20.09.2022 को इन लोगो ने पुनः गर्भ में पल रहे भ्रूण को समाप्त कराने का दबाव यह कहते हुये बनाया कि मेरे दोबारा से पुत्री ही पैदा होगी और अब ये लोग मेरे दोबारा से पुत्री पैदा नहीं होने देगे लेकिन मैने अपना भ्रूण समाप्त कराने से स्पष्ट मना कर दिया तब प्रमोद कुमार व जेठ रामबाबू, रामबिहारी व ससुर भगवती प्रसाद व सास मनवरी देवी व जेठानिया उषा देवी व नेमवती देवी व मेरा नन्दोई नन्दकिशोर इन सभी लोगो ने मुझे फर्श पर उल्टा गिरकार प्रमोद कुमार ने लात मारी, जिससे मेरी हालत बिगड गयी और मेरे पेट में दर्द होने लगा और मुझे हल्की हल्की वैजाईना से ब्लीडिंग होने लगी। इन सभी लोगो ने मुझे मेरी बच्ची सहित उसी दिन दिनांक 20.09.2022 को ससुराल से निकाल दिया। मैं बडी कठनाई से अपने मायके पहुंची (जी) सारी बात अपने मायके वालों को बतायी। मेरे शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण मैने अगले दिन

जिला अस्पताल रामपुर में कराया। इन लोगो द्वारा पहुंचायी गयी चोटो की वजह से मुझे लगातार वैजाईनल ब्लीडिंग होने लगी व मेरी हालत बिगडने पर मुझे दिनांक 27.09.2022 को शाम 4 बजे जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती किया गया। अगले दिन दिनांक 28.09.2022 को साढे ग्यारह बजे दिन के डिस्चार्ज किया गया (एच) इन लोगो द्वारा पहुंचायी गयी चोटो की वजह से मेरा गर्भ भ्रूण समाप्त हो गया। जिसकी पुष्टि डाक्टर द्वारा कराये गये अल्ट्रासाउण्ड दिनांकित 28.09.2022 से होती है। फिर मैंने थाने के बाहर से उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र टाईप कराकर बाजपुर कोतवाली में दी जो मैने बोला वहीं टाईप करने वाले ने टाईप किया। प्रार्थना पत्र पत्रावली में सलंग्न कागज सं०– 4क/1 लगायत 4क/2 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूं जिस पर प्रदर्श पी–1/पी0डब्ल्यू0–1 अंकित किया गया।'' उपरोक्त मुख्य परीक्षा के पैरा नं०– 2 में प्रार्थिनी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि– ''जब वह अपने ससुराल गयी उसने अपना पत्नी धर्म का पालन किया लेकिन शादी के लगभग एक महीने बाद से ही उसका पति प्रमोद कुमार व जेठ रामबिहारी, रामबाबू व ससुर भगवती प्रसाद, सास मनवरी देवी, जेठानी उषा देवी व नेमवती देवी व मेरा नन्दोई नन्द किशोरर ये सभी लोग उसे कम दान दहेज लाने के ताने देते थे और उससे बोलते थे अपने माता पिता से 10 लाख रूपये नगद और एक सैन्ट्रो कार लेकर आओ, वह इन लोगो की मांग पूरी न कर सकी तो ये लोग उसे मारते पीटते थे और उसके साथ गाली गलौच करते थे। वह इन लोगों का अत्याचार इस वजह से सहन करती रही कि कहीं कानूनी कार्यवाही करने से मेरा घर न बिगड जाये।'' तथा उपरोक्त मुख्य परीक्षा के पैरा नं0–6 में प्रार्थिनी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''इन लोगो ने मेरे उपर दबाव बनाया कि मेरे गर्भ में अपने पल रहे भ्रूण को समाप्त करा दूं क्योकि इनको डर था कि मेरे दोबारा से पुत्री पैदा न हो क्योकि इन को डर था कि मेरे दोबारा से पुत्री पैदा न हो जाये। मैने इन लोगो की बात मानने से मना कर दिया। तब दिनांक 20.09.2022 को इन लोगो ने पुनः गर्भ में पल रहे भ्रूण को समाप्त कराने का दबाव यह कहते हुये बनाया कि मेरे दोबारा से पुत्री ही पैदा होगी और अब ये लोग मेरे दोबारा से पुत्री पैदा नहीं होने देगे लेकिन मैने अपना भ्रूण समाप्त कराने से स्पष्ट मना कर दिया तब प्रमोद कुमार व जेठ रामबाबू, रामबिहारी व ससुर भगवती प्रसाद व सास मनवरी देवी व जेठानिया उषा देवी व नेमवती देवी व मेरा नन्दोई नन्दकिशोर इन सभी लोगो ने मुझे फर्श पर उल्टा

गिरकार प्रमोद कुमार ने लात मारी, जिससे मेरी हालत बिगड गयी और मेरे पेट में दर्द होने लगा और मुझे हल्की हल्की वैजाईना से ब्लीडिंग होने लगी। इन सभी लोगो ने मुझे मेरी बच्ची सहित उसी दिन दिनांक 20.09.2022 को ससुराल से निकाल दिया। मैं बडी कठनाई से अपने मायके पहुंचीष इस प्रकार प्रार्थिनी के द्वारा पंजीकृत कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व कथन धारा 161 द०प्र०सं० व मा० न्यायालय के समक्ष अभिलिखित मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण रामबाबू पुत्र भगवती प्रसाद व नेमवती पत्नी राम बिहारी व श्रीमती उषा पत्नी राम बाबू व श्रीमती मनवरी देवी पत्नी भगवती प्रसाद तथा भगवती प्रसाद पुत्र गिरधारी निवासीगण ग्राम खण्डिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर के आपराधिक कृत्य की बाबत स्पष्ट रूप से कथन किया गया है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध कारित करने का साक्ष्य स्पष्ट रूप से आया है। प्रार्थिनी की मुख्य परीक्षा उपरान्त आरोप पत्रित अभियुक्तगण के अधिवक्ता महोदय द्वारा प्रार्थिनी से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें भी प्रार्थिनी ने अपने मुख्य कथन का प्रबल समर्थन किया। उक्त के पश्चात अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू0–2 के रूप में दिनांक 18.10.2025 को प्रार्थिनी के भाई राजकुमार की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी, जिसके द्वारा अभियोजन के कथानक का प्रबल समर्थन किया गया। विवेचक द्वारा प्रबल साक्ष्य होने के उपरान्त भी अभियुक्तगण रामबाबू व नेमवती व श्रीमती उषा व श्रीमती मनवरी देवी तथा भगवती प्रसाद का नाम विवेचना से पृथक करना विवेचक की दूषित मंशा को प्रकट करता है तथा प्रार्थिनी के कथन धारा 161 द०प्र०सं० व प्रार्थिनी की मा० न्यायालय के समक्ष अंकित की गयी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा व अन्य साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रामबाबू पुत्र भगवती प्रसाद व नेमवती पत्नी राम बिहारी व श्रीमती उषा पत्नी राम बाबू व श्रीमती मनवरी देवी पत्नी भगवती प्रसाद तथा भगवती प्रसाद पुत्र गिरधारी निवासीगण ग्राम खण्डिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 504, 506, 316 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध बनता है तथा न्यायहित में उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 498ए, 323, 504, 506, 316 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट से दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाना अति आवश्यक है। जैसा कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था (Rama Singh Vs State of U.P. and another SLP (Crl) No-(S) 18254 of 2025 decided date 17-11-2025 & Neeraj Kumar @ Neeraj Yadav Vs State of

U.P. and others SLP (Crl. No-7518 of 2025 decided date 04-12-2025 & Harjinder Singh Vs The State of Punjab and others SLP (Crl) No- 1891 of 2024 decided dated 06-05-2025 में दी गयी है। अतः उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए रामबाबू, नेमवती व श्रीमती उषा व श्रीमती मनवरी देवी तथा भगवती प्रसाद को धारा 498ए, 323, 504, 506, 316 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

2. सुना पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी सुमन रानी की लिखित तहरीर के आधार पर प्रमोद कुमार, राम बाबु, रामबिहारी, नेमवती, उषा, मनवरी देवी, भगवती प्रसाद, नन्द किशोर के विरूद्ध धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 316, 323, 498ए, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया। विवेचना के पश्चात प्रमोद कुमार, राम बिहारी के विरूद्ध धारा 323, 316, 498ए, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत और अभियुक्त नन्द किशोर के विरूद्ध धारा 323, 504, 506, 498ए भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के विरूद्ध आरोप प्रेषित किया गया तथा रामबाबू, नेमवती, उषा, मनवरी देवी, भगवती प्रसाद के विरूद्ध साक्ष्य न पाये जाने के कारण उनका नाम विवेचना से पृथक किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में वादिनी सुमन रानी परीक्षित हुई, उसने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 2 में बताया कि ''जब वह अपने ससुराल गयी उसने अपना पत्नी धर्म का पालन किया लेकिन शादी के लगभग एक महीने बाद से ही उसका पति प्रमोद कुमार व जेठ रामबिहारी, रामबाबू व ससुर भगवती प्रसाद सास मनवरी देवी, जेठानी उषा देवी व नेमवती देवी व उसका नंनदोई नंदकशोर ये सभी लोग उसे कम दान दहेज लाने के ताने देते थे और उससे बोलते थे अपने माता–पिता से 10 लाख रूपयें नगद और एक सैंट्रो कार लेकर आओ, वह इन लोगों की मांग पूरी न कर सकी तो ये लोग उसे मारते–पीटते थे और उसके साथ गॉली गलौज करते थे। वह इन लोगों का अत्याचार इस वजह से सहन करती रही कि कहीं कानूनी कार्यवाही करने से उसका घर न बिगड़ जाये।'' इसी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के 5वें पैरा में बताया कि दिनांक 30.09.2022 को उसके पति प्रमोद कुमार, जेठ रामबाबू, रामबिहारी, भगवती प्रसाद, सास मनवरी देवी, जेठानी उषा व नेमवती, नन्दोई नन्द

किशोर ने लात घूसों से मारा। उपरोक्त मामले में पी0डब्ल्यू0–2 के रूप में वादिनी का भाई राजकुमार परीक्षित हुआ, उसने अपनी मुख्य परीक्षा के दूसरे पैरा में बताया कि शादी के एक महीने बाद सुमन ने बताया कि पति प्रमोद कुमार, जेठ रामबिहारी व रामबाबू, ससुर भगवती प्रसाद व सास मनवरी देवी, जेठानियां नेमवती व उषा और नंदोई नंदकिशोर दिये गये उपहार से खुश नहीं थे व कम दहेज लाने के कारण ताने देते थे और 10 लाख रूपयें नगद और एक सेंट्रो कार की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर उसकी बहन सुमन के साथ मारपीट व गॉली गलौज करते थे। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह बात आई है कि प्रमोद व उसके घरवाले सुमन से मारपीट व दहेज की मांग करते थे, यह बात उसके विवेचक द्वारा लिये गये बयानो में नहीं आई है। यद्यपि इस साक्षी ने बताया कि यह बात उसने बयानों में बताई है। उपरोक्त साक्षी घटना का साक्षी नहीं है। अन्य साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 व साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 सूरज, जो कि अभियुक्त प्रमोद के पड़ोसी हैं, दोनों साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। यद्यपि अभियोजन द्वारा अपने तर्क में माननीय हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, निर्णय दिनांकित 10 जनवरी 2014 विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 319 सी0आर0पी0सी0 में अभियुक्त को मुख्यपरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात भी, जब न्यायालय सन्तुष्ट हो, तलब कर सकता है। उपरोक्त निर्णय के आलोक में साक्षियों के बयानों से जिन व्यक्तियों को तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें जेठ रामबाबू, जेठानी नेमवती एवं उषा, सास मनवरी एवं ससुर भगवती प्रसाद का विशिष्ट रोल साक्षियों द्वारा नहीं बताया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि, "99. Thus, we hold that though only a prima facie case is to be established from the evidence led before the court not necessarily tested on the anvil of Cross-Examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the court should refrain from exercising power under Section 319 Cr.P.C. In Section 319 Cr.P.C. the purpose of providing if 'it appears from the

evidence that any person not being the accused has committed any offence' is clear from the words "for which such person could be tried together with the accused." The words used are not 'for which such person could be convicted'. There is, therefore, no scope for the Court acting under Section 319 Cr.P.C. to form any opinion as to the guilt of the accused."

उपरोक्त मामले में, उपरोक्त निर्णय के आलोक एवं साक्षियों के बयानों से स्पष्ट है कि साक्षियों द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों रामबाबू, नेमवती, श्रीमती उषा, श्रीमती मनवरी देवी एवं भगवती प्रसाद के विरूद्ध इस प्रकार का साक्ष्य नहीं है, यदि उनका खण्डन न किया जाये तो उपरोक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

(आर0के0 श्रीवास्वत)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
ऊधम सिंह नगर

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 89क

प्रार्थी/अभियुक्त नन्द किशोर की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 89क/1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध दहेज की मांग करने तथा दिनांक 20.09.2022 को शिकायतकर्ता श्रीमती सुमन के साथ अश्लील हरकतें कर उसे फर्श पर उल्टा लिटाकर कमर पर लात–घूंसों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। उक्त आरोपों के आधार पर प्रार्थी का नाम अभियोग पत्र (चार्जशीट) में भी सम्मिलित किया गया है। प्रार्थी का नाम वर्तमान प्रकरण में बिना किसी ठोस, स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य के यांत्रिक एवं मनमाने तरीके से सम्मिलित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 02.07.2022 को कोतवाली बाजपुर में प्रस्तुत तहरीर के पश्चात महिला हेल्पलाइन के माध्यम से काउंसलिंग की कार्यवाही की गई थी तथा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार शिकायतकर्ता उक्त अवधि से अपने मायके में ही निवासरत थी। अभियुक्त संख्या–1 प्रमोद कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त अभिलेखों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि महिला हेल्पलाइन द्वारा की गई काउंसलिंग के उपरांत माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रुद्रपुर द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त आदेश एवं उससे संबंधित जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उसमें कहीं भी प्रार्थी नन्दकिशोर का नाम उल्लिखित नहीं था। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रुद्रपुर की उक्त आदेश/जांच रिपोर्ट की प्रति पैरोकार श्री जगरूप सिंह द्वारा दिनांक 08.11.2022 को महिला हेल्पलाइन, काशीपुर से प्राप्त कर ली गई थी। दिनांक 11.11.2022 को दर्ज एफ0आई0आर0 तथा उसके पश्चात प्रस्तुत अभियोग पत्र (चार्जशीट) में प्रार्थी का नाम सम्मिलित कर लिया गया, जबकि माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रुद्रपुर द्वारा पारित आदेश एवं संबंधित प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहीं भी प्रार्थी का नाम उल्लिखित नहीं था। वर्तमान एफ0आई0आर0 संख्या 548/2022 के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र (चार्जशीट) पर किए गए थाना प्रभारी के हस्ताक्षर एवं एफ0आई0आर0 पर किए गए हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया भिन्न–भिन्न हैं। जिससे प्रतीत होता है की उक्त चार्जशीट थाना प्रभारी कोतवाली बाजपुर की जानकारी के बिना ही दाखिल की गयी है। अतः उक्त हस्ताक्षरों की सत्यता एवं प्रामाणिकता की जांच न्यायहित में फॉरेंसिक प्रयोगशाला (एफ0एस0एल0) से कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में

प्रार्थी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 एवं अभियोग पत्र (चार्जशीट) प्रथम दृष्टया यांत्रिक प्रक्रिया के तहत तैयार किए गए प्रतीत होते हैं। अतः उक्त परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण में आगे की विवेचना (Further Investigation) हेतु एक उचित एवं न्यायसंगत आधार प्रदान करती हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में ''न्यायहित (Interest of Justice)'' में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि–

ए– माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रुद्रपुर की प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसमें प्रार्थी का नाम उल्लिखित नहीं था, तथा उसके उपरांत एफ0आई0आर0 में प्रार्थी का नाम जोड़े जाने की संपूर्ण प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की जाए।

बी– एफ0आई0आर0 एवं अभियोग पत्र (चार्जशीट) पर किए गए थाना प्रभारी के विवादित हस्ताक्षरों की भी एफ0एस0एल0 के माध्यम से जांच कराई जाए।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, वर्तमान प्रकरण में आगे की विवेचना (Further Investigation) का आदेश पारित करने की कृपा करें–

(क) माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर रिपोर्ट (जिसमें प्रार्थी का नाम नहीं था) के बावजूद, एफ0आई0आर0 में प्रार्थी का नाम किस आधार पर जोड़ा गया, जबकि दौरान काउन्सलिंग शिकायतकर्ता अपने मायके में निवासरत थी।

(ग) एफ0आई0आर0 और चार्जशीट पर किए गए थाना प्रभारी के हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता की एफ0एस0एल0 से जांच कराई जाए।

(3) इस आवेदन पर निर्णय होने तक, मुख्य ट्रायल (Prosecution Evidence) को आगे बढ़ाने पर रोक (स्टे) लगाने की कृपा करें।

2. उक्त प्रार्थना पत्र अभियुक्त नन्द किशोर की ओर से दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि उसका नाम एफ0आई0आर0 एवं आरोप पत्र में गलत रूप से दर्ज कराया गया। वर्तमान एफ0आई0आर0 एवं आरोप पत्र में उसका नाम सम्मिलित किया गया, जबकि प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में उसका नाम उल्लिखित नहीं था। एफ0आई0आर0 सं0 548/2022 के अन्तर्गत आरोप पत्र पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर एवं एफ0आई0आर0 में हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न है, अतः इसकी जांच एफ0एस0एल0 से करायी जानी चाहिए और विचारण पर रोक लगाया जाये। उपरोक्त मामले में जो तथ्य प्रार्थी द्वारा अभिकथित किये गये हैं वह तथ्य अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। अतः इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के

प्रार्थना पत्र पर अग्रिम विवेचना कराया जाना आवश्यक नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी／अभियुक्त का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 04.07.2026 को पेश हो।

(आर0के0 श्रीवास्वत)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
ऊधम सिंह नगर